



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225984
CG-DL-E-18032021-225984

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1158]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

No. 1158]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 मार्च, 2021

का.आ. 1250(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 465 (अ), दिनांक 26 अप्रैल 2002 द्वारा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-75 (नया रारा – 44, ग्वालियर से झांसी खण्ड) के 0.000 किमी से 103.000 किमी (संशोधित खंड 16.000 किमी से 98.455 किमी) तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् “प्राधिकरण” कहा गया है) को सौंपा है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, समय समय पर यथा-संशोधित राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 06.02.2020 को प्रकाशित अधिसूचना का. आ. 583(अ) में निम्नलिखित संशोधन करती है।

क. ऊपर सारणी 1 की टिप्पणियों के पैरा 2 में शब्दों तथा आंकड़ों के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

विद्यमान के स्थान पर	निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा
सड़क खंड की निवल लंबाई 62.124 किमी और लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) के 5.310 किमी (जिसकी लंबाई संरचना 0.531 किमी है) हेतु।	सड़क खंड की निवल लंबाई 62.039 तथा समकक्ष संरचना की लंबाई (जिनकी लंबाई 60 मीटर से अधिक है) 6.16 किमी (जिसकी लंबाई 0.616 किमी है) हेतु।

ख. सारणी 1 के बाद टिप्पणियों के पैरा 2 में सारणी -2 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	विद्यमान के स्थान पर	निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा
	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	लंबाई (किमी में) जिसके लिए शुल्क संदेय है
मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में डगराई गांव के निकट रारा-75 (नया रारा-44) के 82.338 किमी डिजाइन चैनेज पर	62.124 [10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास और 60 मी से अधिक की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर]	62.039 [10 करोड़ रुपये से अधिक लागत के बाइपास और 60 मी से अधिक की लंबाई की संरचनाओं को छोड़कर]

ग. सारणी 1 के बाद टिप्पणियों के पैरा -3 में सारणी -4 के लिए निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा :

शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	विद्यमान के स्थान पर		निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा	
	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लंबाई (किमी में)	सड़क की समकक्ष लंबाई (किमी में)
मध्य प्रदेश राज्य के दतिया जिले में डगराई गांव के निकट रारा-75 (नया रारा-44) के 82.338 किमी डिजाइन चैनेज पर	0.531*	5.310	0.616*	6.16

*4 लेन की संरचनाओं का व्यौरा निम्नलिखित है:- निम्नलिखित विद्यमान सारणी के स्थान पर

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	54.120 किमी.	54.479 किमी.	बड़ा पुल	0.359
2	83.624 किमी.	83.710 किमी.	बड़ा पुल	0.086
3	93.739 किमी.	93.825 किमी.	बड़ा पुल	0.086
कुल				0.531

निम्न सारणी से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

	चैनेज		संरचना का प्रकार	लंबाई (किमी में)
	किमी से	किमी तक		
1	किमी. 54.120	किमी. 54.479	बड़ा पुल	0.359
2	किमी. 78.175	किमी. 78.260	फ्लाईओवर	0.085
3	किमी. 85.952	किमी. 86.038	बड़ा पुल	0.086
4	किमी. 96.067	किमी. 96.153	बड़ा पुल	0.086
कुल				0.616

[फा. सं. भाराराप्रा/आरओ-एमपी/जीडबल्यूएल/जीडबल्यूएल-जेएचएस/डगराई टोल प्लाजा/रारा-75(नया रारा -44)/2020]

अमित वरदान, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th March, 2021

S.O. 1250(E).—Whereas, by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number. S.O. 465(E) dated 26th Apr 2002 issued under Section 11 of the National Highway Authority of India Act 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Km 0.000 to Km 103.000 (revised section Km 16.000 to Km 98.455) of NH-75 (New NH-44, Gwalior to Jhansi section) in the state of Madhya Pradesh and Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority).

Now, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules 2008 and amended from time to time, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification published vide S.O. 583(E) dated 06.02.2020.

a. For the words and figures in Para 2 of Notes above Table 1, following shall be substituted:

In place of existing	Shall be substituted as
Net road section length of 62.124 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 5.310 km (having length of 0.531 km)	Net road section length of 62.039 km and for equivalent structure length (having length more than 60m) of 6.16 km (having length of 0.616 km)

b. For the table-2 in Para-2 of Notes after Table 1, following shall be substituted:

Location of Toll Plaza (Chainage)	In place of existing	Shall be substituted as
	Length for which fee is payable (km)	Length for which fee is payable (km)
At Ch. design Km 82.338 of NH75 (New NH-44) near village Dagrai in Datia district of State Madhya Pradesh	62.124 [Excluding length of Bypass (Costing>10Cr.) and length of Structure(>60m)]	62.039 [Excluding length of Bypass (Costing>10Cr.) and length of Structure(>60m)]

c. For the table-4 in Para-3 of Notes after Table 1, following shall be substituted:

Location of Toll Plaza (Chainage)	In place of existing		Shall be substituted as	
	Length of Structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)	Length of Structures (in Km) to be converted into equivalent road length	Equivalent road length (in km)
At Ch. design Km 82.338 of NH75 (New NH-44) near village Dagrai in Datia district of Madhya Pradesh	0.531*	5.310	0.616*	6.16

*The details of 4 lane structure are as under:- In place of existing following table

	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	Km. 54.120	Km. 54.479	Major Bridge	0.359
2	Km. 83.624	Km. 83.710	Major Bridge	0.086
3	Km. 93.739	Km. 93.825	Major Bridge	0.086
Total				0.531

shall be substituted with following table

	Chainage		Type of Structure	Length (in Km)
	From Km	To Km		
1	Km. 54.120	Km. 54.479	Major Bridge	0.359
2	Km. 78.175	Km. 78.260	Flyover	0.085
3	Km. 85.952	Km. 86.038	Major Bridge	0.086
4	Km. 96.067	Km. 96.153	Major Bridge	0.086
Total				0.616

[F.No. NHAI/RO-MP/GWL/GWL-JHS/DagraiTollPlaza/NH-75(NewNH-44)/2020]

AMIT VARADAN, Jt. Secy.